राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 194 सितम्बर 2015 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय, जिसमें एक अविवाहित माँ को बिना पिता की सहमति से अपने बच्चे का एकमात्र अभिभावक बनने की अनुमति दी गई है, स्वागत योग्य है। यदि वह पिता का नाम नहीं बताना चाहती है तो वह नहीं बता सकती है और प्राधिकारियों को जन्म-प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें केवल माँ का नाम होगा। उसे केवल इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। स्कूल फॉर्म, पासपोर्ट आवेदन पत्र और विभिन्न सरकारी कागजों में पिता के नाम वाला बॉक्स खाली छोड़ा जा सकता है।

सामान्यतः समाज और विशेषकर भारतीय समाज अविवाहित माताओं को इसलिए अच्छी निगाहों से नहीं देखता है क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक क्रिया तो की है परन्तु बिना कानूनी मान्यता के की है और अपने बच्चों का परित्याग न करने का निर्णय लिया है।

परन्तु न्यायालय ने, यह निर्णय देते समय समाज के अनुमोदन की परवाह नहीं

चर्चा में **सकारात्मक निर्णय**

की। उसने माँ-बाप के अधिकारों से ऊपर केवल बच्चे के कल्याण के बारे में सोचा। यह निर्णय महिला-पुरुष समानता के किसी विचार पर भी आधारित नहीं था। न्यायालय का यह प्रगतिशील निर्णय, जिसका मकसद देश में एकल माताओं को होने वाली कठिनाइयों को कम करना है, महिलाओं को अकेले अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए सशक्त करेगा। विश्व के देशों में विभिन्न सिविल और कॉमन कानूनों के अधिकार क्षेत्र का उदाहरण देते हुए न्यायालय ने जोर देकर कहा कि "बच्चे का कल्याण एक असम्बद्ध पिता के अधिकारों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।"

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को कानूनी मान्यता देने से बच्चे को कोई लाभ नहीं होगा जिसे बच्चे के कल्याण में कोई रूचि नहीं है। इसके विपरीत, एक बुरे, असम्बद्ध पिता का हस्तक्षेप परिवार के लिए न केवल नुकसानदायक होगा परन्तु बच्चे को अपूरणीय हानि पहुँचा सकता है।

अध्यक्षा का मद्रास के रोटरी क्लब में भाषण देना

अध्यक्षा मद्रास के रोटरी क्लब की एक बैठक में उपस्थित हुई और महिला सशक्तिकरण पर श्रोताओं को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि आयोग को प्राप्त अधिकांश शिकायतें हिंसा से संबंधित हैं और स्तब्ध कर देने वाली बात तो यह है कि यह दक्षिणी दिल्ली के सम्पन्न इलाके हैं जहां कन्या भ्रूण हत्या की अधिकतम घटनाएं होती हैं।

श्रीमती ललिता कुमारमंगलम (बाएं से दूसरी) अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ

उन्होंने कहा कि पुरुष प्रधान समाज के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यन्त आवश्यक है। "यह विचार कि एक महिला अपनी जड़ से हिल नहीं सकती, छोड़ देना चाहिए। आज कोई भी महिला पुरुष के समान इधर-उधर आ जा सकेगी और उसका साथी उसी तरह अपने को व्यवस्थित करेगा जैसा कि महिला करेगी। हमें वरिष्ठ पदों पर अधिक संख्या में महिलाओं की आवश्यकता है।" उन्होंने दुःख व्यक्त किया कि केवल कुछ ही महिला न्यायाधीश हैं और उच्चतम न्यायालय के बेंच में कोई नहीं है। उनका अगला बिंदु यह था - एक एकल महिला को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है जैसाकि एक एकल आदमी को स्वीकार किया जाता है। यदि कोई महिला एकल है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके साथ कोई गलत हुआ है, उसका तलाकशुदा/विधवा होना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी एकल महिला अपनी इच्छा से एकल रह सकती है।

"महिलाओं को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि वे भी एकल रह सकती हैं - केवल पुरुष ही नहीं। वे केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। हमारे अनाथालय 90 प्रतिशत लड़कियों की भारी संख्या अपने यहां नहीं रखेंगे यदि महिलाएं अपने शिशुओं का त्याग करने के लिए सहमत नहीं होती हैं।" अंत में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिला-पुरुष बराबरी जरूरी है अथवा अन्यथा भारत आगे कभी नहीं बढ़ सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि "सभी महिलाओं का सम्मान करो और अपने पुत्रों को भी ऐसा करने को कहो।"

राज्य महिला आयोगों के साथ पारस्परिक बैठक

राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली, मणिपुर और हैदराबाद में पहले हुई पारस्परिक बैठकों की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में राज्य महिला आयोगों के साथ पारस्परिक बैठक आयोजित की।

जिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई वे हैं - (i) शिकायतों के समाधान से ओर महिलाओं के हितों की रक्षा करने में सहायता करने के लिए राज्य महिला आयोगों को बुनियादी सुविधाएं और बजटीय आवंटन प्रदान करना; (ii) राज्य महिला आयोगों के स्टॉफ का क्षमता निर्माण; (iii) घरेलू हिंसा, लिव-इन रिलेशनशिप आदि के संबंध में इन्द्र शर्मा बनाम वी.के.के. (एसएलपी) 2012 की क्रिल संख्या 4895 पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सूक्ष्म पहलुओं पर चर्चा; (iv) 'महिलाओं को

सुश्री प्रीति सुदन अध्यक्षा और सदस्य सचिव के साथ श्रोताओं को संबोधित करती हुई

- अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या लालडिंगलियानी साइलो, रेखा शर्मा, सुषमा साहू, प्रीति मदान, राष्ट्रीय महिला आयोग की विधि अधिकारी सुधा चौधरी और राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षाएं, सदस्य सचिव और अधिकारी। सुश्री प्रीति सुदन, अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास ने भी इस अवसर पर बोला।

राष्ट्रीय महिला आयोग की विधि अधिकारी सुधा चौधरी बैठक को संबोधित करती हुई। मंच पर विराजमान (बाएं से) श्रीमती रेखा शर्मा, श्रीमती लालडिंगलियानी साइलो, अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम, श्रीमती प्रीति मदान और श्रीमती सुषमा साहू

(अमानवीयकरण और कलंकीकरण) अत्याचार से निवारण और संरक्षण विधेयक, 2014 शीर्षक के विधेयक के बारे में चर्चा।

बाद में, राष्ट्रीय महिला आयोग के एक प्रोजेक्ट हिंसा मुक्त घर - एक महिला का अधिकार - पर एक प्रस्तुति दी गई जिसे राज्यों में दोहराया जाएगा। जिन वक्ताओं ने विभिन्न सत्रों में भाषण दिया वे थे

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा (मध्य में) राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्यों और राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षाओं के साथ

यूपीएएसआई के कार्यक्रम में अध्यक्षा की उपस्थिति

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम कुन्नूर में आयोजित यूनाईटिड प्लांट्र्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया (यूपीएएसआई) के वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर बोलती हुई अध्यक्षा ने कहा कि वह बागान उद्योग के मुद्दों को केन्द्र के पास उठाने में सहायक की भूमिका निभाएंगी। अपने वक्तव्य में

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रोताओं को सम्बोधित करती हुई

बागान क्षेत्र में हाल में उठे श्रमिक मुद्दों, जिसमें महिला श्रमिकों ने केरल में कम भुगतान देने की शिकायत की थी, के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग बागान उद्योग में श्रमिकों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए शोध आरम्भ करेगा ताकि एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जा सके जो श्रमिकों और मालिकों दोनों के लिए लाभप्रद हो और जिससे बागान उद्योग सुधार में ध्यान दिया जा सके।

बागान श्रमिकों के कौशल उन्नयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्रीमती कुमारमंगलम ने कहा कि केन्द्र कर और श्रमिक क्षेत्र में ढांचागत सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है और आशा व्यक्त की कि भविष्य में स्थिति में सुधार आएगा। उन्होंने बागान उद्योग से कहा कि वे संकट से निबटने के लिए आगे बढ़ें और विश्व बाजार में अपने बागान उत्पादों के मामले में भारत को शीर्ष में पहुचाएँ।

❖ सदस्य लालडिंगलियानी साइलो असम सरकार के साथ महिला संबंधित विभिन्न मुद्दों पर, जिनमें असम राज्य महिला आयोग को सुदृढ़ करने के उपाय शामिल हैं, चर्चा करने के लिए चार दिन के दौरे पर असम गई। इस संबंध में वह मुख्य सचिव और असम आयोग के चेयरपर्सन और इसके सदस्यों से मिली और उनसे राज्य आयोग के बजटीय समर्थन में वृद्धि करने और उसे अतिरिक्त तकनीकी श्रमशक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया। राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग असम में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक दर्जे पर रिपोर्ट पर, जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर संपूर्ण पूर्वोत्तर रिपोर्ट का एक भाग है, कार्य कर रहा है। यह रिपोर्ट महिलाओं के लिए नीति और कार्यक्रम संबंधी सिफारिशों के लिए बेसलाईन सर्वे के रूप में सहायक होगी। ● श्रीमती साइलो और सदस्या सचिव मोनीदीपा बोइकोटोकी और अन्य सदस्याएं गुवाहाटी के केन्द्रीय जेल गई और महिला कैदियों के साथ बातचीत की। उन्होंने इमारत, शौचालय, स्नानघर की मरम्मत और सफाई स्थिति और चिकित्सा सुविधओं में सुधार करने के बारे में जेल प्राधिकारियों के साथ बातचीत की। ● सदस्या निराश्रित महिलाओं के लिए जालुकबारी स्टेट होम कॉम्प्लैक्स भी गई। होम की स्थिति संतोषजनक थी। उन्होंने कैदियो के लिए बेहतर मनोरंजन सुविधाएं और पुनर्वास की सिफारिश की।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या साइलो (मध्य में) सरकारी अधिकारियों, जिनके साथ सदस्य सचिव और असम चेयरपर्सन बैठे हैं, से महिला संबंधित मुद्दों पर चर्चा करती हुई

❖ सदस्या सुषमा साहू राष्ट्रीय महिला आयोग की परामर्शदाता नेहा महाजन गुप्ता और सामाजिक कार्यकत्री डॉ. लक्ष्मी गौतम के साथ वृंदावन में तरश मंदिर कॉम्प्लैक्स स्थित ओल्ड एज होम गई। उन्होंने प्रौढ़ महिलाओं (अधिकांशतः विधवाएं) के साथ बातचीत की और उनकी रहने की स्थिति को शोचनीय पाया। बाद में, वह अन्य सदन गई और वहां रहने वालों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों को अपनी रिपोर्ट भेजेंगी ताकि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और संवासियों के जीवन स्थितियों में सुधार लाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सफाई और पानी से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

सदस्या सुषमा साहू विधवाओं से बात करती हुई

❖ सदस्या रेखा शर्मा हरियाणा के आश्रय गृहों में महिलाओं को हो रही कठिनाइयों पर चर्चा करने के लिए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल से मिली। उन्होंने उनसे कहा कि यद्यपि विधवाओं को हर महीने 1,200 रुपए पेंशन दी जाती है परन्तु उन्हें केवल 850 रुपए प्रति महीने मिलते हैं। उन्होंने गृहों की असंतोषजनक स्थिति और संवासियों की सुरक्षा में कमी से भी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कविता जैन को बुलाया और उन्हें मामले को देखने का निदेश दिया। पेंशन का मामला उसी समय निबटा दिया गया। ● सदस्या शर्मा फरीदाबाद के आश्रय गृह और जिला जेल गई और वहां महिला संवासियों से बातचीत की और उनके रहने की स्थितियों का निरीक्षण किया। ● वह करनाल के आश्रय गृह और जिला जेल भी गई। उन्होंने मंद बुद्धि के संवासियों को नारी निकेतन में अन्य संवासियों के साथ रहने की संयुक्त जगह देने पर अपनी अप्रसन्नता जाहिर की। तथापि उन्होंने संवासियों के रहने की स्थितियों में सुधार करने में जेल प्राधिकारियों द्वारा आरम्भ किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। ● श्रीमती शर्मा चंडीगढ़ के मॉडल जेल भी गई और महिला कैदियों और जेल प्राधिकारियों के साथ बातचीत की कि कैसे महिला कैदियों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। ● सदस्या अदिती महाविद्यालय, बवाना द्वारा नई दिल्ली में "बराबरी और महिलाएं" पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुई। ● श्रीमती शर्मा उड़ीसा राज्य महिला आयोग द्वारा "लड़कियों और महिलाओं की तस्करी विरोधी अन्तरा-राज्य समन्वय" पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए भुवनेश्वर गई।

श्रीमती रेखा शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ

महत्वपूर्ण निर्णय

● एक महत्वपूर्ण निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वे माताएं जिनकी सोरोगेसी के द्वारा बच्चे हैं, मातृत्व अवकाश पाने की पात्र हैं जिसमें पूर्व और पश्चात् प्रसव अवधि शामिल है। यह तर्क देते हुए कि सोरोगेसी के द्वारा बच्चा पाने वाली मां बच्चे की कानूनी मां है, उच्च न्यायालय ने सोरोगेट मां के लिए मार्ग-निर्देश निर्धारित किए हैं और कहा है कि "बच्चा पाने वाली मां को बच्चे से तादात्म्य स्थापित करने की आवश्यकता है और कभी-कभी बच्चे की डिलीवरी के ठीक बाद स्तनपान कराने वाली मां की भूमिका निभानी पड़ती है" और उसका भावनात्मक जुड़ाव सोरोगेट मां से अधिक हो सकता है।

● कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को जिस पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, अभियोग पत्र दाखिल करने से पूर्व अथवा बाद में निलंबित किया जा सकता है यदि उसके पद पर बने रहने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अथवा कोई घपला हो सकता है जिससे व्यापक लोक हित के साथ समझौता करना पड़ सकता है।

● छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के कांकर जिले में फेमिली कोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा है जिसमें एक 70 वर्षीय महिला को उसके सौतेले पुत्र से 1000 रुपए का गुजारा भत्ता दिलाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निःसंतान सौतेली मां अपने सौतेले पुत्र से गुजारा भत्ता पाने की पात्र है।

● अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 'नई रोशनी' नाम की एक योजना को क्रियान्वित किया है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं का नेतृत्व विकास किया जाएगा, उन्हें सशक्त बनाया जाएगा और जानकारी, औजार और सरकार के सिस्टम, बैंक और सभी स्तरों पर मध्यस्थों के साथ बात करने की विधियां बताकर उनमें आत्मविश्वास का संचार किया जाएगा। गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटियों, ट्रस्टों के माध्यम से क्रियान्वित की गई स्कीम में एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है और उसके बाद 1 वर्ष तक आवश्यक सहायता दी जाती है।

लीक से हट करके कार्य

छत्तीसगढ़ के एक दूरस्थ गांव में एक 102 वर्ष की महिला कुंवरबाई जादव घरों में शौचालय बनाने के अभियान में जुटी हुई है। एक अभूतपूर्व सद्भावपूर्ण कार्य के तौर पर कुंवरबाई ने एक शौचालय बनाने के लिए अपनी बकरियां 22,000 रुपए में बेच दी। यह जानने के बाद कि खुले में शौच से बीमारियां फैल सकती हैं, वह दुर्बल काया की महिला रायपुर में धमतरी के कोटाभरी गांव में घर-घर गई और खुला शौच मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए जागरूकता पैदा की और लोगों को प्रेरित किया।

उसके प्रयास और निष्ठा ने गांव के 450 निवासियों में अपने घरों में शौचालयों का निर्माण करने के लिए प्रतिज्ञा लेने का उत्साह भरा। धमतरी के कलक्टर से भी मनरेगा के अंतर्गत शौचालय के निर्माण में सबसिडी के रूप में सहायता मिली। जुलाई तक कोटाभरी गांव खुला शौच मुक्त गांव घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कमर जनजाति भी, जो पास की पहाड़ियों में रहती है, अपने घरों में शौचालयों के निर्माण के लिए प्रेरित हुई।

पुलिस स्टेशनों में जन-संपर्क अधिकारी

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि सभी राज्य सरकारें पुलिस स्टेशनों में उन जन-संपर्क अधिकारियों को नियुक्त करने की प्रथा शुरू करें जो महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन महिलाओं की सहायता करने के लिए ऐसे अधिकारी दिल्ली के तीन पुलिस स्टेशनों में नियुक्त करने में सहायता की है जो अपनी शिकायतें दायर करने के लिए पुलिस स्टेशनों को जाती हैं।

यह भारत है!

बेटों की अद्भुत चाहत में गुजरात के दाहोद जिले के एक गांव में रहने वाले एक जनजाति दंपत्ति रामसिंह और कनुसनगोड ने आशा की थी कि उनका सोलहवां बच्चा एक लड़का होगा। परन्तु जब लड़की हुई, जो परिवार की 15वीं लड़की थी, रामसिंह दूसरे पुत्र के लिए अपनी पत्नी से 'एक और अंतिम कोशिश' करने के लिए कहने लगा। इस समय दंपत्ति की 13 लड़कियां (दो पहले मर गई हैं) और 18 महीने का एक लड़का है।

रामसिंह के अनुसार, उनके समुदाय में भाई को अपनी बहनों के लिए शादी और रीति-रिवाज में होने वाला सभी व्यय वहन करना पड़ता है। चूंकि उसका बेटा उसकी सभी बेटियों से सबसे छोटा है, नई पैदा हुई बेटी को छोड़कर, वह महसूस करता है कि उसके लिए स्वयं अपनी बेटियों के लिए इन महत्वपूर्ण प्रथाओं का पालन करना असंभव होगा। इसलिए वह दूसरा पुत्र चाहता है जो उसके भार को हल्का कर सके।

इस बीच, कनु ऑपरेशन द्वारा गर्भाशय निकालने का अनुरोध कर रही है क्योंकि उसका शरीर कमजोर है और वह समझती है कि एक और गर्भधारण करना उसके लिए संभव नहीं है।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।